संख्या-763/2015/1637/69-1-2015-66(अ0सं0-37)/2014

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1637/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 22 जुलाई, 2015, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना"** योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मुरादाबाद की न0पा0प0-ठाकुरद्वारा, न0पं0-कांठ, कुन्दरकी व उमरीकला तथा नगर निगम-मुरादाबाद की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग 33 परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-180/2486/69-1-2014-66(अ0सं0-37)/2014, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 एवं सपठित शुद्धि-पत्र संख्या-157/2015/234/69-1-2015-66(अ0सं0-37)/2014, दिनांक 18.02.2015 द्वारा **रू0 1328.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 664.155 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में** जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-मुरादाबाद निगम-मुरादाबाद, नगर पंचायत-कुन्दरकी व उमरीकला तथा न0पा0प0 ठाकुरद्वारा की 18 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **रू0 348.195 लाख (रूपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख उन्नीस हजार पांच सौ मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/मानकों के [illegible] अनुसार उपयोग [illegible] निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित सूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित सूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शहरी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त परियोजना की मानकों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित सूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.0[illegible].2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा परियोजना के स्वरूप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आकलित नहीं की गई है।

10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित सूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0 प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

-3/

15 स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च 2016 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 37 के अन्तर्गत आयोजनागत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-763/2015/1835 (1)/69-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुरादाबाद ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई 8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-765/2015/2755/69-1-2015-69(अ0)0 37/14 दिनांक [illegible] अक्टूबर, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	[illegible] का विवरण	परियोजना की कुल लागत	[illegible] में किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड नं0-10 किशनपुर [illegible] में जाकिर के मकान से राजउद्दीन के मकान तक, जहीर के मकान से मुस्तकीम के मकान तक, [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक, शोकिन के मकान से [illegible] के मकान तक, मुनव्वर के मकान से निजामुद्दीन के मकान तक, रईस के मकान से शहजाद के मकान तक, शहजाद के मकान से [illegible] के मकान तक, [illegible] के मकान से बली मोहम्मद के मकान तक, पप्पा के मकान से [illegible] के मकान तक, सरकारी अस्पताल के पास निजाम के मकान से [illegible] के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	38.85	19.425
2	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड सं0-25 मो0 रहमत नगर में अब्दुल हमीद ठेकेदार के मकान से सकलैन [illegible] वाया [illegible] फैक्ट्री, [illegible] के मकान से यासीन के मकान तक, जाहिद हुसैन के मकान से नौशिल के मकान तक, रिक्की के मकान से [illegible] के मकान तक, [illegible] भाई के मकान से [illegible] के मकान तक, [illegible] फैक्ट्री के पीछे वाली गली तक, [illegible] मस्जिद से [illegible] साहब के मकान तक, कलीम भाई की बराबर वाली गली में दादा मियां के घर से बाबू भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	44.56	22.28
3	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड सं0 25 मो0 रहमत नगर में यासीन की [illegible] वाली गली में [illegible] भाई के मकान से [illegible] के मकान तक, पप्पी के मकान से [illegible] के मकान तक, पप्पी के मकान से उमर भाई के मकान तक, बम्बई वालों के मकान से [illegible] भाई के मकान तक, असलम के मकान से [illegible] के मकान वाया [illegible] मस्जिद तक, अकील भाई की गली में, [illegible] के मकान से अब्दुल शकूर के मकान तक, [illegible] के मकान से रहीश के मकान तक, [illegible] के मकान से हाजी [illegible] के मकान तक वाया [illegible] आदि के मकान तक विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	26.34	13.17
4	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड सं0-25 मो0 रहमत नगर में [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक, [illegible] के मकान से [illegible] के	40.53	20.266

			मकान तक, अहमद [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक, [illegible] के मकान से इकरार के मकान तक, इरशाद के मकान से नईम के मकान तक, [illegible] के प्लाट से लइक के प्लाट तक, नसीम के मकान से मोहम्मद अली के मकान तक, शकील अहमद के मकान से अय्यूब के मकान तक, भूरे भाई के मकान से रफीक के मकान तक, भूरे भाई के मकान से बाबा असलम के मकान तक, अफ़्शी मस्जिद वाली गली में, बिल्लू के मकान से [illegible] स्कूल तक विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।		
5.	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड नं0 25 मो0 रहमत नगर में नजीर भाई की गली तक, बाब्स स्कूल के सामने से भूरे के मकान तक, आरिफ के मकान से नसीर के मकान तक, इकबाल अली के मकान से अनवार के मकान तक, मो0 फैज़ान के मकान से छप्पर वाली मस्जिद तक, गुलशन के मकान से श्याम के मकान तक, मोहम्मद यासीन की दुकान वाली गली तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	39.89	19.945
6.	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड नं0 25 मो0 रहमत नगर में मो0 असलम के मकान से आगे की ओर तक, रईस अहमद के मकान से मुस्लिम कालेज की दीवार तक, नईम की गली में, मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कालेज की सामने वाली गली तक, पप्पू भाई की गली तक, शब्बीर की दुकान वाली गली में, मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कालेज के बराबर में तलानी वाली गली से शाकिर के मकान शहज़ाद आलम के मकान से पुलिया तक, कल्लू भाई वाली गली में, दानिश के मकान से ज़हीर वकील के मकान तक, पुलिया से भूरे के मकान तक, गौहर अली के प्लाट से पुलिया तक, मो0 शफी के मकान से इसरार भाई के फाटक तक, जमील अहमद के मकान से फैजुद्दीनके मकान तक व अब्दुल वाहिद की गली तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	43.92	21.96
7.	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड नं0 25 मो0 रहमत नगर में मैक्स डिज़ाइन पब्लिक स्कूल के सामने वाली गली में बराबर वाली गली में मोहम्मद हनीफ के मकान से आसान के मकान तक, समीर दूध डेरी के बराबर से नाज़िम के मकान तक, फारूख के मकान से भूरे के मकान तक, दारुल उलूम टीनिया मदरसा से अय्यूब के मकान तक, शकील के मकान से शमीम के मकान तक, मोइन के मकान से शफीक के मकान तक, मेहराज के मकान से नाले तक, मेहराज के मकान से इस्लाम के मकान तक विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	30.61	15.305
8.	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड सं0-38 मो0 शिवनगर जयन्तीपुर में हाजी शमीम के मकान से रईस भाई के मकान तक, जावेद के प्लाट से	43.66	21.83

			[illegible] के बाजार तक, मोहम्मद फरीद के मकान से [illegible] भाई के मकान तक, [illegible] के मकान से [illegible] भाई के मकान तक, [illegible] के मकान से आरिफ के मकान तक, [illegible] के मकान से इश्तहाक [illegible] के मकान तक, [illegible] से आरिफ के [illegible] तक विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।		
9	मुरादाबाद	नगरनिगम मुरादाबाद	वार्ड नं0-33 मो0 शिवनगर जयन्तीपुर में शकील भाई के मकान से अनवर भाई के मकान तक, गुड्डू भाई के मकान से जमील के मकान तक, हनीफ भाई की गली में, मदीना मस्जिद के सामने वाली गली में, [illegible] के मकान से शाकिर भाई के मकान तक, चौहान के मकान से आफताब के मकान तक, लाला भाई के मकान से इसरार के मकान तक, मुन्ने भाई के मकान से [illegible] के मकान तक, फिरासत के मकान से [illegible] के मकान तक, जहांगीर के मकान से शकील के मकान तक, नासिर के मकान सलीम भाई के मकान तक, तारा बेगम के मकान से भाले हसन के मकान तक की विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	40.03	20.015
10	मुरादाबाद	नगरनिगम मुरादाबाद	वार्ड नं0-33 में मो0 शिव नगर जयन्तीपुर में नुसरत जहाँ के मकान से बाबू भाई के मकान तक, फर्श वाली गली में, धर्मवीर चौधरी के मकान से भंगी के मकान तक, धर्मवीर चौधरी के मकान से राजेश के मकान तक, मो0 सलीम के मकान से बब्बू भाई के मकान तक, शमीम के मकान के सामने से शकील के प्लाट तक, छोटे के मकान से मुन्ने के मकान तक व आमिर वाली गली में, खालिद के मकान से नाजिम के मकान वाया तालिब के मकान से तसलीम के मकान तक एवं आसपास की विभिन्न गलियां (भाग 5) में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	44.22	22.11
11.	मुरादाबाद	नगरनिगम मुरादाबाद	वार्ड नं0 33 में मो0 शिव नगर जयन्तीपुर में तौफिक के मकान से असलम के मकान तक, मुख्तियार के मकान से शकूर के मकान तक, कुर्बान के मकान से चामुण्डा मंदिर तक, मुख्तियार के मकान से अकबर के मकान तक, इमाम के मकान से शब्बर के मकान तक, कब्रिस्तान से प्यारे जान तक की विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	40.75	20.375
12	मुरादाबाद	नगरनिगम मुरादाबाद	वार्ड नं0-33 में मो0 शिव नगर जयन्तीपुर में शमशुद्दीन के प्लाट से लाला के मकान तक, सुरेश सैनी के मकान से श्यामा के मकान तक, मोहनलाल के मकान से किशन लाल के मकान तक, श्यामा के मकान से राजू के मकान तक, जगदीश सीमेन्ट स्टोर से राम स्वरूप के मकान तक, नरसिंह के प्लाट से कुलदीप के मकान तक, दुर्गा के मकान से [illegible] के मकान तक, मंदिर से	43.74	21.87

			[illegible] के मकान तक, [illegible] के मकान से [illegible] मंदिर तक, [illegible] की चक्की से [illegible] की मदिना से इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।		
13	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड न0-38 में मो0 शिव नगर जयन्तीपुर में [illegible] की फैक्ट्री से शाकिर के मकान तक, आशा मस्जिद के सामने वाली गली में सुधीर के मकान तक, [illegible] की चक्की से हसीना के मकान तक, [illegible] से [illegible] व सतीश के मकान तक, मुनव्वर के मकान से [illegible] मित्तल के मकान तक, जाकिर के मकान से अमजद के मकान तक व मुन्नन डेरी के बराबर वाली गली में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	44.84	22.[illegible]
14	मुरादाबाद	न0निगम मुरादाबाद	वार्ड न0-38 में मो0 शिव नगर जयन्तीपुर में [illegible] के मकान से हाजी रिजवान के मकान तक, श्याम सिंह के मकान से गुप्ता जी के स्कूल तक, नारायण सिंह वाली गली में पन्ना लाल के मकान से नारायण सिंह के मकान तक, भूरन सिंह के मकान से विनोद सिंह के मकान तक, मन्दिर से एस0एच0 वालों के मकान तक, मन्दिर के सामने वाली गली तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	22.30	11.[illegible]
15	मुरादाबाद	न0पं0 कुन्दरकी	वार्ड सं0-11, मो0 मुस्तफा में सैफियों वाली पुलिया से चर्च तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	18.52	[illegible]
16	मुरादाबाद	तदैव	वार्ड सं0-03 मो0 कायस्थान में शफीक खाँ के मकान से मरघटी रोड तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	61.63	[illegible]
17	मुरादाबाद	न0पं0 उमरीकलां	मो0 अन्सारियान में भूरे के मकान से बदरुद्दीन के मकान तक, मसीम के मकान से सलीम के मकान तक, कासिम के मकान से कौसर के मकान तक, मोनू के मकान से नवील के मकान तक, महफूज के मकान से यासीन के मकान तक एवं मुजाहिद के मकान से शाहिद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	28.29	14.1[illegible]
18.		न0पा0परि0 ठाकुरद्वारा	वार्ड सं0-20 में [illegible] सिंह के मकान से हाजी नूरहसन के मकान तक, वार्ड न0-20 में अहमद अली के मकान से ताहिर सिनक वालों के मकान तक एवं वार्ड न0-20 हसनुद्दीन के मकान से मुस्तकीम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	31.01	[illegible]
	योग			696.39	348.19

(रुपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ मात्र)।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।